रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224461
CG-DL-E-15012021-224461

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942
No. 23] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 25(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 392(अ), तारीख 18 जून, 2020 द्वारा प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 18 जून, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 139 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय मोटर यान (नई दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा का विनियमन) नियम, 2000, केन्द्रीय मोटर यान (कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा का विनियमन) नियम, 2000, केन्द्रीय मोटर यान (अमृतसर और लाहौर के बीच बस सेवा का विनियमन) नियम, 2006, केन्द्रीय मोटर यान (अमृतसर और ननकाना

साहिब के बीच बस सेवा का विनियमन) नियम, 2006, केन्द्रीय मोटर यान (त्रिपुरा में बांग्लादेश से बाटलिंग संयत्र को पैट्रोलियम उत्पादों के प्रदाय का विनियमन) नियम, 2018, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अन्तर्देशीय परिवहन यानों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय परिवहन यान नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) "कर्मीदल" से चालक, सह-चालक, सहायक और सम्पर्क अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररुप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप अभिप्रेत है;

(घ) "अन्तर्देशीय परिवहन अनुज्ञप्ति" से अधिनियम के अधीन अन्तर्देशीय परिवहन यान के रूप में किसी मोटर यान के उपयोग को प्राधिकृत करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ङ) "अन्तर्देशीय परिवहन यान" से भारत और किसी अन्य देश के बीच किसी पारस्परिक ठहराव के अधीन और किराए या पारिश्रमिक पर यात्रियों या माल या दोनों को सड़क मार्ग द्वारा ले जाने के लिए चलने वाला परिवहन यान अभिप्रेत है;

(च) "करार का ज्ञापन" से भारत और किसी अन्य देश के बीच चलने वाले मोटर यानों की सेवाओं को सुकर बनाने और विनियमित करने के प्रयोजन के लिए भारत गणराज्य की सरकार और किसी अन्य देश के बीच किया गया पारस्परिक ठहराव अभिप्रेत है ।

(2) यहां प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. **अनुज्ञप्ति के प्ररुप, अन्तर्वस्तुएं और अवधि** – (1) अन्तर्देशीय परिवहन अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए आवेदन इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप में राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के साथ करार के ज्ञापन में उल्लिखित फीस, यदि कोई हो, संलग्न होगी और निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(ख) वैध उपयुक्तता प्रमाणपत्र (जहां कहीं लागू हो);

(ग) वैध बीमा पालिसी;

(घ) वैध अनुज्ञप्ति;

(ङ) वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ।

(3) राज्य परिवहन प्राधिकरण, स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हैं और आवेदक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है तथा ऐसी पूछताछ करने के पश्चात् जो वह ठीक और आवश्यक समझे, अन्तर्देशीय परिवहन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा ।

(4) प्रत्येक अन्तर्देशीय परिवहन अनुज्ञप्ति इसे जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और इसका वार्षिक आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जाएगा ।

4. **अन्तर्देशीय परिवहन यान के लिए पात्रता शर्तें** – (1) अन्तर्देशीय परिवहन यान इस प्रकार संनिर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा कि वह सभी समयों पर इसे चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण में रहे ।

(2) अन्तर्देशीय परिवहन अनुज्ञप्ति के अधीन चलने वाले अन्तर्देशीय परिवहन यान में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे, अर्थात् :-

(क) संबंधित देश की विधि के अधीन जारी किया गया वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ख) संबंधित देश की विधि के अधीन जारी किया गया वैध उपयुक्तता प्रमाणपत्र ;

(ग) वैध बीमा पालिसी ;

(घ) संबंधित देश की विधि के अधीन जारी किया गया वैध अनुज्ञप्ति ;

(ङ) यात्री यान की दशा में यात्रियों की राष्ट्रीयता के ब्यौरों के साथ उनकी सूची ; और

(च) वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ;

(छ) वैध विस्फोटक अनुज्ञप्ति, यदि ऐसे यान के संबंध में कोई जोखिमपूर्ण मालों का परिवहन किया जा रहा हो और ऐसे यान के निरीक्षण के लिए सक्षम किसी प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध उक्त सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा ;

(ज) माल की दशा में, वैध वीजक, ई-वे बिल और सीमा-शुल्क बंधपत्र आदि ।

5. **कर्मीदल के लिए शर्तें** – (1) अन्तर्देशीय परिवहन यान के चालक और सह-चालक से केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वर्दी उस पर अंग्रेजी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखे हुए उनके नामों के साथ पहनना अपेक्षित होगा ।

(2) अन्तर्देशीय परिवहन यान का चालक या सह-चालक वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बीमा, उपयुक्तता प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति, चालन अनुज्ञप्ति और कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।

(3) अन्तर्देशीय परिवहन यान का चालक और सह-चालक संबंधित देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी क्रमशः वैध चालन अनुज्ञप्ति और सह-चालक अनुज्ञप्ति रखेगा ।

(4) यदि अन्तर्देशीय परिवहन यान का चालक या सह-चालक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम हैं तो संबंधित देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई वैध अनुज्ञप्ति रखने वाला कोई चालक या सह-चालक, यथास्थिति, यान के चालक या सह-चालक के रूप में कार्य कर सकेगा ।

6. **अन्तर्देशीय परिवहन यान पर प्रदर्शित की जाने वाली स्पष्ट विशिष्टियां** – (1) करार के ज्ञापन के अधीन प्रचालित होने वाले अन्तर्देशीय परिवहन यान को समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह यान या यान के भाग पर चिपकाई हुई पट्टी के समतल पर यान के आगे और पीछे परावर्तक रंग में स्पष्ट प्रदर्शित किया जाएगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अंग्रेजी अंकों और संबंधित देश की राजभाषा में होगा और अक्षर पांच सेंटीमीटर (दो इंच) ऊंचे और पांच सेंटीमीटर (दो इंच) चौड़े से कम नहीं होंगे ।

(3) अन्तर्देशीय परिवहन यान में दृश्यमान स्थान पर यान के आगे और पीछे दोनों ओर पढ़े जाने योग्य निम्नलिखित ब्यौरे प्रदर्शित किए जाएंगे, भारत में आरम्भ बिन्दू – संबंधित देश का गंतव्य बिन्दू - भारत में आरम्भ बिन्दू ।

(4) अन्तर्देशीय परिवहन यान के आगे और पीछे पढ़े जाने योग्य और दृश्यमान यान के प्रचालक का नाम प्रदर्शित किया जाएगा ।

7. **कर्मीदल का व्यक्तिगत सामान** – करार के ज्ञापन के अधीन प्रचालित परिवहन यान का बस कर्मीदल दोनों देशों की सीमा-शुल्क विधियों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए आथितेय देश में उनके ठहरने की अवधि को ध्यान में रखते हुए, ऐसा व्यक्तिगत सामान ले जा सकेगा, जो आवश्यक हो ।

8. **तीसरे पक्षकार जोखिम के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता** -- अन्तर्देशीय परिवहन यान जिसके पास ऐसी बीमा पालिसी नहीं है, जिसके अन्तर्गत ऐसे परिवहन यान के उपयोग से उत्पन्न, यथास्थिति, विस्तृत या तीसरा पक्षकार जोखिम नहीं आता है, और जो संबंधित देश के विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता, इन नियमों के अधीन प्रचालित नहीं होगा ।

9. **यात्रियों को ले जाने वाले यानों के चालन के संबंध में अन्तर्वलित विभिन्न पणधारियों का उत्तरदायित्व** – (1) करार के ज्ञापन के अधीन संबंधित राज्यों की सरकार का परिवहन विभाग अन्तर्देशीय परिवहन सेवा के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और उन्हें समनुदेशित विभिन्न अन्य कर्तव्यों को करेगा ।

(2) बस सेवा सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य राज्य पुलिस का होगा और उपमहानिरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी को उत्तरदायित्व समनुदेशित किए जाएंगे ।

(3) संबंधित राज्यों की सरकार का स्वास्थ्य विभाग आपातकाल के लिए चिकित्सा सुविधाओं हेतु समन्वय करेगा ।

(4) अन्तर्देशीय परिवहन सेवा के सहज संचालन के लिए आसूचना संबंधी मुद्दों के समन्वय के लिए आसूचना ब्यूरो उत्तरदायी नोडल अभिकरण होगा ।

(5) अन्तर्देशीय परिवहन सेवा करार के ज्ञापन में वर्णित दिवसों के लिए चालू रहेगी और उसकी बारम्बारता का पुनर्विलोकन राज्य परिवहन विभाग द्वारा किया जा सकेगा तथा वह मांग के अनुसार सेवा को बढ़ा सकेगा ।

(6) अन्तर्देशीय परिवहन सेवा करार के ज्ञापन में यथावर्णित समनुदेशित मार्गों पर चलेगी तथा राज्य परिवहन विभाग बसों के लिए रुकने के स्थान निश्चित कर सकेगी ।

(7) राज्य परिवहन विभाग औपचारिकताओं जैसे टिकटों की व्यवस्था, बसों का दोष दूर करना, बसों की सड़क पर चालन योग्यता, यात्रियों की तलाशी और जांच, अभिहित स्थान से जाने से पूर्व यात्री सामान के हथालन आदि का ध्यान रखेगा ।

(8) विभिन्न अभिकरण भारत में एकीकृत जांच चौकी पर उन्हें समनुदेशित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे और, यथास्थिति, एकीकृत जांच चौकी या भू सीमा शुल्क स्टेशन पर विभिन्न अधिनियमों के अधीन अनुपालन स्वयं वहीं पूर्ण किए जाएंगे ।

(9) यथास्थिति, संबंधित सेना या सीमा रक्षा बल या सुरक्षा अभिकरण आवश्यक निरोधक सुरक्षा प्रदान करेंगे तथा सीमा के प्रवेश या निकास बिन्दूओं पर और किसी विनिर्दिष्ट आसूचना इनपुट के आधार पर किसी अन्य बिन्दू पर, यथास्थिति सीमा रक्षा बल या अन्य सुरक्षा अभिकरणों द्वारा मालों, यानों, यात्रियों के सामान तथा बस की पूर्णतः जांच की जाएगी ।

अन्तर्देशीय परिवहन अनुज्ञप्ति के लिए प्ररुप

(नियम 3 देखे)

नियमित अनुज्ञप्ति*

(जो लागू न हो उसे काट दें)

भारत सरकार/भारत के पड़ोसी देश (देशों) की सरकार

(भारत)-भारत के पड़ोसी देश (देशों) के बीच यात्रियों/माल/स्थोरा ले जाने के लिए परिवहन यान चलाने हेतु अनुज्ञप्ति

(क) मोटर यान के प्रचालक का नाम, पता और राष्ट्रीयता

(ख) यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या

(ग) परिवहन प्रचालकों की प्रकृति एक बिन्दू से दूसरे बिन्दू तक भारत- भारत के पड़ोसी देश

(घ) यान की क्षमता

(i) बैठने की क्षमता (बस सेवा)

(ii) लदान भार

(ङ) बीमा पालिसी की विशिष्टियां

(च) उपयुक्तता प्रमाणपत्र की विशिष्टियां

(छ) प्रत्येक देश में प्रारम्भ और समाप्त होने वाले बिन्दू

(ज) नियत यात्री सेवा यान/माल यान द्वारा अनुसरण किया जाने वाला/वाले मार्ग

(झ) माल यान द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मार्ग या क्षेत्र ।

यह अनुज्ञप्तिसेतक वैध है और अहस्तांतरणीय है ।

.....

सरकार के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, भारत के पड़ोसी देश (देशों) के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
पदनाम और मुद्रा

पदनाम और मुद्रा
भारत सरकार

यह अनुज्ञप्तितक नवीनीकृत की जाती है

.....

भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, भारत के पड़ोसी देश (देशों) की सरकार के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
पदनाम और मुद्रा

पदनाम और मुद्रा

*से एक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी और अन्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्तांक्षरित, अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है, जो ऐसी अनुज्ञप्ति में यथाविनिर्दिष्ट मार्ग/क्षेत्र में चलने के लिए परिवहन यान को प्राधिकृत करता है और इसके अन्तर्गत यात्री/माल के परिवहन के लिए नियमित अनुज्ञप्ति भी है ।

टिप्पण: यान (यानों) पर रजिस्ट्रीकरण पत्र तथा अन्य दस्तावेज जैसे बीमा प्रमाणपत्र, उपयुक्तता प्रमाणपत्र आदि ले जाए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

[फा. सं. आर. टी.-11036/27/2020-एम. वी. एल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 15th January, 2021

G.S.R. 25(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), *vide* notification number GSR 392 (E), dated the 18th day of June, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 18th June, 2020;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 139of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the Central Motor Vehicles (Regulation of Bus Service Between New Delhi and Lahore) Rules, 2000, the Central Motor Vehicles (Regulation of Bus Service between Calcutta and Dhaka) Rules, 2000, the Central Motor Vehicles (Regulation of Bus Service between Amritsar and Lahore) Rules, 2006, the Central Motor Vehicle (Regulation of Bus Service between Amritsar and Nankana Sahib) Rules, 2006 and the Central Motor Vehicles (Regulation of petroleum products supply to bottling plant in Tripura from Bangladesh) Rules, 2018 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the Inter- Country Transport Vehicles, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called as the Inter-Country Transport Vehicles Rules, 2021.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.–(1)In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
(b) "crew" means driver, conductor, helper and the liaison officer;
(c) "Form" means the Form annexed to these rules;
(d) "Inter-Country transport permit" means the permit issued by the State Transport Authority under the Act authorising the use of motor vehicle as an Inter-Country transport vehicle.
(e) "Inter-Country transport vehicle" means a transport vehicle operating between India and any other counter under any reciprocal arrangement and carrying passengers or goods or both by road for hire or reward;
(f) "Memorandum of Agreement" means the reciprocal arrangement entered into between the Government of the Republic of India and other country for the purpose of facilitating and regulating the services of motor vehicles operating between India and any other country.

(2) The words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Forms, contents and duration of the permit. — (1) An application for the grant of Inter-Country transport permit shall be made in Form annexed to these rules to the State Transport Authority.

(2) The application made under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee as mention in the Memorandum of Agreement (MoA), if any, and shall be accompanied by the following documents, namely:–

(a) Valid registration certificate;
(b) valid certificate of fitness (wherever applicable);
(c) valid insurance policy;
(d) valid permit;
(e) valid pollution under control certificate.

IndiaCode

(3) The State Transport Authority may, after satisfying itself that the application submitted under sub-rule (1) is complete in all respects and the applicant satisfies all requirements for issuance of a permit and after making such enquiry as it thinks fit and necessary grant the Inter-Country transport permit.

(4) Every Inter-Country transport permit shall remain valid for a period of one year from the date of its issue and it shall be renewable for a period of five years on yearly basis.

4. Eligibility conditions of Inter-Country transport vehicle.—(1) An Inter-Country transport vehicle shall be so constructed and maintained as to be at all times under the effective control of the person driving it.

(2) The following documents shall be available in an Inter-Country transport vehicle operating under Inter-Country transport permit, namely:–

(a) valid registration certificate issued under the law of the country concerned;
(b) valid certificate of fitness issued under the law of the country concerned;
(c) valid insurance policy;
(d) valid permit under the law of the country concerned;
(e) list of passengers with details of their nationality in case of passenger vehicle; and
(f) valid pollution under control certificate;
(g) a valid explosive license, if any kind of hazardous goods are being transported in respect of such vehicle and shall make all the said documents available for inspection by any authority competent to inspect such vehicle;
(h) in case of goods, valid invoice, e-way bill and custom bonds etc.

5. Conditions for the crew. —(1) The driver and the conductor of the Inter-Country Transport vehicle shall be required to wear the uniform specified by the Central Government with their names prominently-displayed on it in English language.

(2) The driver or conductor of an Inter-Country transport vehicle shall produce certificate of registration, insurance, fitness and permit, the driving licence and any other relevant documents on demand by any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf.

(3) The driver and conductor of an Inter country transport vehicle shall be in possession of a valid driving licence and conductor's licence, respectively issued by the competent authority of country concerned.

(4) If the driver or conductor of the Inter-Country transport vehicle is unable to perform his duties, a driver or a conductor in possession of a valid licence issued by the competent authority of the country concerned, may drive or act as a conductor of the vehicle, as the case may be.

6. Distinguishing particulars to be exhibited on the Inter- Country transport vehicle.– (1)The registration mark assigned to Inter-Country transport vehicle operating under the Memorandum of Agreement shall be clearly exhibited in reflecting colour both at front and rear of the vehicle on the plain surface of a plate affixed to the vehicle or part vehicle.

(2) The registration mark shall be in English numerals and Official Language of the respective country and the letters shall not be less than five centimeters (two inches) high and five centimeters (two inches) wide.

(3) The Inter-Country transport vehicle shall display the following details legibly both at front and rear of the vehicle in a conspicuous place indicating the starting point in India – destination point of the respective country- starting point in India.

(4) The Inter-Country transport vehicle shall display the name of the operator of the vehicle on both sides of the vehicle legibly and conspicuously.

7. Personal effects of crew.—The bus crew of a transport vehicle operating under the Memorandum of Agreement may carry such personal effects, as may be necessary, having regard to the period of their stay in the host country subject to conditions specified in the customs laws of both countries.

8. Necessity for insurance against third party risk.—The Inter –Country transport vehicle which does not have a policy of insurance that covers comprehensive or third party risks, as the case may be, arising out of the use of transport vehicle and which does not complies with the requirements of the law of the country concerned shall not operate under these rules.

9. Responsibility of various stakeholders involved regarding movement of vehicles carrying passengers.–(1)The Transport Department of the Government of the States concerned under the Memorandum of Agreement shall be responsible for the conduct of the Inter-Country transport service and shall perform various other duties assigned to them.

(2) It shall be the duty of State police to provide security to the bus service and a Deputy Inspector General rank police office shall be assigned with the responsibilities.

(3) The Health Department of the Government of the States concerned shall coordinate for medical facilities for emergencies.

(4) The Intelligence Bureau shall be the nodal agency with responsibility to coordinate the intelligence related issues for smooth conduct of Inter-Country transport service.

(5) The Inter-Country transport service shall be running for as many days as mentioned in the Memorandum of Agreement and the frequency may be reviewed by the State Transport Department and may increase the service as per demand.

(6) The Inter-Country transport service shall follow the designated routes as mentioned in the Memorandum of Agreement and the State Transport Department may decide the halting place for the buses

(7) The State Transport Department shall take care of formalities like provisioning of tickets, debugging of bus, roadworthiness of the bus, frisking or checking of passengers, handling of luggage before departure from the designated place.

(8) The various agencies shall perform responsibilities assigned to them at the Integrated Check Post of India and the compliances under various Acts at an Integrated Check Post or Land Custom Station, as the case may be, shall be fulfilled there itself.

(9) The respective Army or Border Guarding Force or Security Agencies, as the case may be, shall provide necessary prophylactic security and the goods, vehicles, passenger's luggage and the bus may be checked thoroughly by Border Guarding Force or other Security Agencies, as the case may be, at entry or exit points of the border and any other point based on specific intelligence input.

FORM For Inter-Country Transport Permit

(See rule 3)

REGULAR PERMIT*

(Strike out whichever is not applicable)

Government of India /Government of Neighbouring country(s) of India

Permit to ply transport vehicles carrying passengers/goods/cargo between (India) - Neighbouring country(s) of India.

(a) Name, address and nationality of the operator of motor vehicle.

(b) Registration Number of the vehicle.

(c)Nature of transport operators: Point to point India - Neighbouring country(s)of India.

(d) Capacity of the vehicle:

(i) Seating capacity (Bus service)

(ii) Laden Weight

(e) Particulars of insurance policy.

(f) Particulars of Certificate of fitness.

(g) The starting and terminal points in each country.

(h) The route or routes to be followed by the scheduled passenger service vehicle/goods vehicle.

(i) The route or area to be followed by the goods vehicle.

IndiaCode

This permit is valid from……. to ……. and is not transferable.

.....	 …….
Signature, Designation and Seal of the Competent authority of the Government of India	Signature, Designation and Seal of the Competent authority of the of Neighbouring country(s) of India
This permit is hereby renewed upto the day of	……
.....	 …….
Signature, Designation and Seal of the Competent authority of the Government of India	Signature, Designation and Seal of the Competent authority of the Government of Neighbouring countries of India

*means a permit issued by competent authority of one country and countersigned by the competent authority of the other country, authorising the transport vehicle to ply on route/area, as specified in such permit, and includes regular permit for passenger/goods transport.

Note: Registration papers and other documents such as insurance certificate, fitness certificate, etc., shall be carried on the vehicle(s) and made available for inspection on demand by the competent authority or any officer duly authorised by the authority.

[F. No. RT-11036/27/2020-MVL]

Amit Varadan, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.15 21:59:23 +05'30'